14/11/15

समाहरणालय, मधेपुरा।

(शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

बिहार बिधान सभा चुनाव-2015 के मद्देनजर भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में मतदान सम्पन्न कराने के निमित्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र को विभिन्न थाना मालखाना में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1282/शस्त्र, दिनांक 01-10-2015 एवं 375/शस्त्र, दिनांक 10-10-2015 के द्वारा जमा कराया गया था। उक्त आदेश में इसका उल्लेख किया गया था कि चुनाव प्रकिया समाप्ति के उपरान्त मालखाना में सुरक्षित जमा रखे गए शस्त्र संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों से पावना रसीद प्राप्त कर उन्हें शस्त्र हस्तगत करायेंगे। चूँकि चुनाव प्रकिया समाप्त हो गई है, अब शस्त्र जमा रखना उचित प्रतीत नहीं होता है।

निदेशानुसार सभी थानाध्यक्ष, मधेपुरा जिला को निदेश दिया जाता है कि जमा लिए गए शस्त्र संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को अविलंब वापस करना सुनिश्चित करेंगे एवं उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को भी देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

जिला दंडाधिकारी, मधेपुरा के आदेशानुसार,

ह0/-

जिला शस्त्र दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 384/शस्त्र, मधेपुरा, दिनांक 12.11.2015

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित। आग्रह है कि अपने स्तर से भी सभी थानाध्यक्षों को निदेशित करने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि : सभी थानाध्यक्ष, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिला के वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

12.11.15

जिला शस्त्र दंडाधिकारी,
मधेपुरा।